<u>अनुस्मारक-II</u>

सं. 05/4/2023-रा.भा. (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय / राजभाषा विभाग
*****

एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001.
दिनांक 05 अक्टूबर, 2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:- केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में रिक्ति वर्ष 2024 में उप निदेशक के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 25.08.2023 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सहायक निदेशकों को उप निदेशक के पद पर पदोन्नति का मामला विचाराधीन है। तदनुसार, ये अनुरोध किया गया था कि विचार क्षेत्र में आने वाले सहायक निदेशकों की सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र जारी किये जाए जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि इनके विरुद्ध न तो कोई सतर्कता संबंधी मामला लंबित है ना ही चलाये जाने का प्रस्ताव है । साथ ही पिछले 10 वर्षों की उनके ऊपर लगाई गयी छोटी-बड़ी शास्ति संबंधी प्रमाण पत्र (Major/ Minor Penalty Statement) भी जारी करें जिससे कि पदोन्नति संबंधी मामले पर कार्रवाई शीघ्र की जा सके ।

2. इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त जानकारी/ सूचना श्री अनिल कुमार-1, सहायक निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सन्दर्भ में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । अतः, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी/सूचना राजभाषा विभाग को <u>15 अक्टूबर, 2023</u> तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएँ जिससे कि मामले पर आगे की कार्रवाई की जा सके ।

05/X/2023
(काशी नाथ)
अवर सचिव (सेवा)
दूरभाष:-011-2343 8030

सेवा में,

1. अवर सचिव (प्रशासन), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली ।
2. एन. आई. सी., राजभाषा विभाग कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।